CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
(Ministry of Environment & Forests, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar
Delhi - 110 032

No.C-22017/01/95-Admn.(P)/ 14th Dec. 2010

CIRCULAR

The Competent Authority, Central Board has accorded approval for issue of fresh CSMA Medical Cards to all the regular employees of the Board including their eligible dependant family members.

All the employees of CPCB are hereby informed to down load the CSMA Medical Form from the Website of CPCB and submit the duly filled Form within 07 days from the date of issue of this circular. The necessary instructions may be carefully read before filling-up the form. The instructions may also be down loaded from the CPCB Website.

(R. D. PANDEY)
Administrative Officer (P)

Distribution:-

1. All the Divisional Incharges, CPCB, H.O., Delhi. **(With a request to circulate amongst the staff -working under them).**
2. All the Incharges Z.O./Bangalore/Bhopal/Lucknow/Kolkata/Shillong/Vadodara/ Project Office Agra. **(With a request to circulate amongsf the staff working under them).**
3. PS to CCB
4. PS to MS
5. Office Order File.
6. AO (P) Master File.

(R. D. PANDEY)
Administrative Officer (P)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली - 110032

सं.सी-22017/01/95-प्रशा.(का.)/ दिनांक: 14.12.2010

परिपत्र

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने बोर्ड के सभी नियमित कर्मचारियों को उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों सहित केन्द्रीय सेवा चिकित्सा सहायता(सी.एस.एम.ए) के अधीन नये चिकित्सा कार्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी कर्मचारियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से सी.एस.एम.ए. चिकित्सा कार्ड डाउनलोड करें और उसे विधिवत भर कर इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 07 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। चिकित्सा प्रपत्र भरने से पहले आवश्यक निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। निर्देशों को भी केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाए।

(आर.डी.पाण्डे)
प्रशासन अधिकारी(का.)

प्रतिलिपि:

01. सभी प्रभाग प्रभारी, के.प्र.नि.बो., मुख्यालय, दिल्ली (अनुरोध है कि इसे अपने अधिनस्थ कर्मचारियों में परिचालित करें।)
02. प्रभारी, आंचलिक कार्यालय बैंगलौर/भोपाल/लखनऊ/कोलकाता/शिलॉग/बड़ोदरा/ परियोजना कार्यालय आगरा।(अनुरोध है कि इसे अपने अधिनस्थ कर्मचारियों में परिचालित करें।)
03. अध्यक्ष के निजी सचिव
04. सदस्य सचिव के निजी सचिव
05. कार्यालय आदेश फाइल
06. प्रशासन अधिकारी(का.) की मास्टर फाइल

(आर.डी.पाण्डे)
प्रशासन अधिकारी(का.)

लाभार्थी का विवरण

BENEFICIARY DETAILS

सी.पी.सं.....

1. नाम/Name.....
2. पदनाम/Designation.....
3. मूल वेतन/Basic Pay.....
4. वेतन बैंड में वेतन/ Pay in Pay Band(₹.....+G.P ₹.....
5. वर्तमान पता/Present Address.....
   .....
6. मोबाइल नंबर/घर का दूरभाष नंबर .....
7. कार्यालय का दूरभाष नंबर .....

परिवार की फोटो(लाभार्थी व आश्रितों की फोटो)
Family Photo (Beneficiary & Dependents)

परिवार/आश्रित लाभार्थी का विवरण

DETIALS OF FAMILY DEPENDENT BENEFICIARIES

(केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवा रिकार्ड में यथा परिभाषित)

(As Defined in C.P.C.B. Service Record)

क्रम सं Sl.No	नाम Name	जन्म तिथि/आयु DOB/Age	कार्ड धारक से संबंध Relationship with Card Holder
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचना/विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सही और सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सूचनाओं में से कोई सूचना/विवरण गलत या झूठा पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा(सी.सी.ए.) नियमावली, 1965 के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

लाभार्थी के हस्ताक्षर

Signature of the Beneficiary

टिप्पणी: कृपया अपने पुराने सी.एस.एम. कार्ड की छायाप्रति इसके साथ संलग्न करें।

NOTE: PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING:

1) Please fill up the new Medical Card Form as per details given and submit alongwith the photocopy of the old Medical Card (if issued earlier).

2) Please paste latest photo (ticket size) for self and dependents in the Form.

3) If the income of parents is more than Rs.3500/- per month from all sources, they will not be entitled for medical facility and their name(s) shall not be included in the Medical Card.

4) If the spouse (wife/husband) is in employment either in Govt. or in Private, please attach a certificate from the employer that she/he is not availing any medical facility/LTC/Tuition fee etc. from his/her office.

5) In the case of son, he will not be treated dependent on attaining the age of 25 years or starts earning or gets married, whichever is earlier.

6) If case of daughter, she will not be treated as dependent, if, she starts earning or gets married irrespective of age limit, whichever is earlier.

7) The son suffering from any permanent disability of any kind (physical or mental) shall be dependent irrespective of age (please attach the documentary proof).

8) In case of dependent divorced/abandoned or separated from their husband/widow daughters and sisters, irrespective of age limit, their name can be included in the dependent list.

9) Minor brothers in the dependent list may be included upto the age of 18 years.

10) Please ensure that information furnished are authenticated and if, any false information furnished, shall attract disciplinary action against the employees under CCS(CCA) Rules 1965.

टिप्पणी : कृपया प्रपत्र भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े:

1. कृपया नये मेडिकल कार्ड प्रपत्र को दिये गये विवरण के अनुसार भरें और पुराने मेडिकल कार्ड की छाया प्रति (यदि पहले जारी किया गया हो) के साथ प्रस्तुत करें।

2. कृपया प्रपत्र में अपने और आश्रितों की नवीनतम फोटोग्राफ (टिकट साइज) चिपकायें।

3. यदि माता पिता की सभी स्रोतों से मासिक आय ₹3500/– से अधिक है तो वे चिकित्सा सुविधा के पात्र नहीं होंगे और उनके नाम मेडिकल कार्ड में शामिल नहीं किये जायेगें।

4. यदि पत्नी/पती में से कोई एक सरकारी या प्राईवेट नौकरी में हो तो कृपया उनके नियोजक(Employer) से प्रमाण पत्र संलग्न करें कि वे उनके कार्यालय से चिकित्सा सुविधा/अवकाश यात्रा रियायत/शिक्षण शुल्क इत्यादि की कोई भी सुविधा नहीं ले रहे है।

5. पुत्र के मामले में, यदि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या कमाने लगा हो या उसकी शादी हो चुकी हो, जो भी पहले हो, के पश्चात आश्रित नहीं माना जायेगा।

6. पुत्री के मामले में, आयु सीमा पर ध्यान दिये बिना, यदि वह कमाने लगी हो या उसकी शादी हो गई हो, जो भी पहले हो, के पश्चात आश्रित नहीं माना जायेगा।

7. यदि पुत्र किसी प्रकार की (शारीरिक या मानसिक) स्थाई बिमारी से ग्रस्त हो तो उसे आयु पर ध्यान दिये बिना आश्रित माना जायेगा (कृपया दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)।

8. यदि आश्रित तलाकशुदा/परित्यक्त(Abandoned) या अपने पति से अलग रह रही हो/विधवा पुत्रियां या बहने, आयु सीमा पर ध्यान दिये बिना उनका नाम आश्रितों की सूची में शामिल किया जा सकेगा।

9. अवयस्क भाईयों को 18 वर्ष की आयु तक आश्रितों के सूची में शामिल किया जा सकेगा।

10. कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रपत्र में भरी गई सूचनायें प्रमाणिक हैं और यदि, कोई झूठी सूचना देता है तो उस कर्मचारी के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमावली 1965 के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।